

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81AC 689245



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रलप 26
नियम 4क देखिए)

कानुपर खण्ड शिक्षक निर्वाचनक्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विधान परिषद (सदन का नाम)
के लिए निर्वाचन के लिए रिटार्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग- अ

मैं राजबहादुर उर्फ राज बहादुर सिंह चन्देल पुत्र श्री रामपाल आयु 76 वर्ष, जो 334, कृष्ण देइखड़ा, उन्नाव, काशी
निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर तिमालिखित कथन
करता हूँ।

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे कहा जाता है (राजनीतिक दल का नाम) निर्दलीय द्वारा खड़ा
किया गया है / निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 165-विधान सभा उन्नाव उम्प्रो (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में क्रम संख्या 1213
मर. भाग सं. 121 में प्रविष्ट है।

(3) मेरे 0515-2820909 मोबाइल नं.- 09415905949 संपर्क दूरभाष संख्या / संख्याएं हैं और कुछ नहीं
ई-मेल पता (यदि कोई हो) हैं।



NOTAR



२०१५ वर्ष १६ अक्टूबर

क्रम सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी संख्या)	खाता	वह वित्तीय वर्ष जिसके आय-कर विवरणी में लिए अंतिम आय-कर दर्शाई गई कुल आय विवरणी फाइल की गई है (रूपये में)
1.	स्वयं राज बहादुर सिंह चन्देल	ACNPC8963H		वर्ष (2016-2017) 872426
2.	पत्नी श्रीमती कमला			
3.	आश्रित -1			
4.	आश्रित -2			
5.	आश्रित -3			

(6) मुझे लोक प्रनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्च संख्या/संख्याएं	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए हैं	लागू नहीं
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं

(पप) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है ज्ञ ऊपर मद (च) में लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	मामलों का व्यौरा जिसमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिसमें संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हैं), के व्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे लोक प्रनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का व्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील का व्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति।	लागू नहीं

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और स्थाई आदि) का ब्यौरा यहाँ नीचे देता हूँ :-

क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पणी-1 : संयुक्त नाम पर आस्तियाँ, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पणी-2 : निपेक्ष/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पणी-3 : वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पणी-4 : आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।

टिप्पणी-5 : प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

(क्रम सं.)	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	45000	25000			
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निपेक्ष), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	1341816	कुछ नहीं			
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम		कुछ नहीं	कुछ नहीं		
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखित में विनिधान और रकम	184750	27250			
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम		कुछ नहीं	कुछ नहीं		
(vi)	मोटर यान/बासुयान/नाव/जहाज (निर्माण), रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	UP 35 Q9111 वर्ष 2011 5 लाख		कुछ नहीं		
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (माल और मूल्य के ब्यौरे)	20 ग्राम सोना रु.60,000	1 किग्रा चाँदी 45000 100 ग्राम सोना 3 लाख			
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज					
(ix)	सकल कुल मूल्य	2131566	397250			


ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पणी -1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।

टिप्पणी-2 : इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

(क्रम सं.)	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का / के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	पैदल ग्राम सुनीला, मैता एवं चमोली उन्नाव	कुछ नहीं			
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	12 एकड़	कुछ नहीं			
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	हाँ	कुछ नहीं			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	कुछ नहीं			
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	कुछ नहीं			
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	60,00,000	कुछ नहीं			
(ii)	गैर कृषि भूमि : जी.डी.ए. स्थान गाजियाबाद सर्वेक्षण संख्यांक		कुछ नहीं			
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	300 वर्ग मी.	कुछ नहीं			
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	नहीं	कुछ नहीं			
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	15.12.2010 से किरतों में 15.9.2013 तक	कुछ नहीं			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	4500000	कुछ नहीं			
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं			
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	4500000	कुछ नहीं			
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) - स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	कुछ नहीं	मोती नगर उन्नाव 293			
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुछ नहीं	750वर्ग फिट			
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुछ नहीं	500वर्ग फिट			
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	कुछ नहीं	नहीं			
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	35 वर्ष पूर्व			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	10,000			
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	लागू नहीं			
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	10,00,000			

1/2010/15/2010



(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेंट सहित -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	कृष्णादेव खेडा उन्नाव म.नं.334	कुछ नहीं			
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	900वर्ग मी	कुछ नहीं			
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	900वर्ग मी	कुछ नहीं			
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	नहीं	कुछ नहीं			
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	40 वर्ष पूर्व	कुछ नहीं			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2100	कुछ नहीं			
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	1 लाख	कुछ नहीं			
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	10 लाख	कुछ नहीं			
(iv)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं			
(iv)	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	115,00000	10,00,000			

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ -

(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण का इकार	जी नहीं	जी नहीं			
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार कोई अन्य दायित्व	जी नहीं	जी नहीं			
	दायित्वों का कुल योग	जी नहीं	जी नहीं			
(ii)	सरकार के देय, : सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देय					
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	जी नहीं	जी नहीं			
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	जी नहीं	जी नहीं			
	टेलीफोनों/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित	जी नहीं	जी नहीं			

	विभाग को देय	जी नहीं	जी नहीं		
	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित)	जी नहीं	जी नहीं		
	आधकर देय	जी नहीं	जी नहीं		
	संपत्ति कर देय	जी नहीं	जी नहीं		
	सेवा कर देय	जी नहीं	जी नहीं		
	नगरपालिका/संपत्ति कर देय	जी नहीं	जी नहीं		
	बिक्री कर देय	जी नहीं	जी नहीं		
	कोई अन्य देय	जी नहीं	जी नहीं		
(iii)	सरकारी के सभी देयों का कुल योग	जी नहीं	जी नहीं		
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है	लागू नहीं	लागू नहीं		

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं सेवा निवृत
- (ख) पति/पत्नी गृहणी

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

सेवा निवृत पेशनर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)
स्कूल विश्वविद्यालय का नाम तथा वर्ष 1- हाईस्कूल वर्ष 1957, 2- इंटरमीडिएट वर्ष 1960 - बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एज्यूकेशन उ0प्र0,
3- बी.एस.सी-1963, 4- बी.टी.-1965 आगरा वि.वि. आगरा, 5- पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा 1968, 6- एम.ए. (राजनीतिशास्त्र) 1977 लखनऊ वि.वि. लखनऊ

भाग- ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरों का सार :

1	अभ्यर्थी का नाम	राज बहादुर उर्फ राज बहादुर सिंह चन्देल
2	डाक का पूरा पता	334, कृष्णादेव खेड़ा, उन्नाव
3	विवरण क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद राज्य उ.प्र.
4	राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा सनिदंलीय - लिखें)	निर्दलीय
5	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	लागू नहीं
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है(ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं
6	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिकन्य, 1951, की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय]	लागू नहीं

7.		का स्थायी खाता संख्या (पीएन)	वर्ष जिसमें अतिम आय-कर विवरणी काइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय
	(क) अभ्यर्थी	ACNPC 8963 H	वर्ष 2016-2017	872426 रु0
	(ख) पति या पत्नी	जी नहीं	जी नहीं	
	(ग) आश्रित			
8.	आसितियों और दायित्वों के स्थायों में ब्यौरे विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1
अ.	जंगम आसितियाँ (कुल मूल्य)	21,31,566	397250	आश्रित 2
आ	स्थावर आसित			आश्रित 3
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति को क्रय कीमत	4502100	10,000	
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	10,00,000	लागू नहीं	
III	(क) स्वार्जित आसितियों (कुल मूल्य) (ख) विरासती आसितियों (कुल मूल्य), की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	55,00,000 60,00,000	10,00,000	
9.	दायित्व			
(i)	सरकार के देय (कुल)	जी नहीं	जी नहीं	
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	जी नहीं	जी नहीं	
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त है			
(i)	सरकार के देय (कुल)	जी नहीं	जी नहीं	
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	जी नहीं	जी नहीं	
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिप्लोमा/पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे हैं, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा है जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)			

सत्यापन
 मैं, ऊपर नामित अधिकारी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य वात छिपाइ नहीं गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-
 (क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से मिलन किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विलेख लिखित नहीं है;
 (ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से मिलन मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी अस्ति या दायित्व नहीं है।

उच्चतम स्थान पर आज तारीख 12.12.2017 को सत्यापित किया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर
 १५२८८८/०१८५६८

- टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
 टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटेरी पक्षिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
 टिप्पण 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो,
 यथास्थिति, या तो “कुछ नहीं” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।
 टिप्पण 4. शपथपत्र या तो टकित होना चाहिए या सुपाद्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।